उत्तर प्रदेश शासन
लोक सेवा प्रबन्धन अनुभाग
संख्याः-2/2023/07/91-2023
लखनऊ: दिनांक: 14 मार्च, 2023

## अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अधिनियम, 2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2011) की धारा 3 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से, समय-समय पर यथासंशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या-2198/1-14-2010-33(100)-2010 टी0सी0-।।।, दिनांक 15 जनवरी, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करती हैः-

## संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना की अनुसूची में:-

एक. क्रम संख्या 29 पर उल्लिखित वाणिज्य कर विभाग से संबंधित प्रविष्टियाँ (पूर्वोक्त अधिसूचना में अधिसूचना संख्या 375/91-2013, दिनांक 27 नवम्बर, 2013 द्वारा जोड़ी गयीं) निकाल दी जायेंगीः और

दो. क्रम संख्या 53 पर परिवहन विभाग से संबंधित सेवा संख्या (3) और (17) से संबंधित प्रविष्टियाँ (पूर्वोक्त अधिसूचना में अधिसूचना संख्या 337/91-2018, दिनांक 28 सितम्बर, 2018 द्वारा जोड़ी गयीं) निकाल दी जायेंगी।

आज्ञा से,
के0 रविन्द्र नायक
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

**UTTAR PRADESH SHASAN**
**LOK SEWA PRABANDHAN ANUBHAG**

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 2/2023/ 07 /91-2023 dated 14 March, 2023:

## NOTIFICATION

No.2/2023/07/91-2023
Lucknow; Dated: 14 March, 2023

In exercise of the powers under section 3 of the Uttar Pradesh Janhit Guarantee Adhiniyam, 2011 (U.P. Act no. 3 of 2011) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, the following amendment in Government Notification no. 2198/1-14-2010-33(100)-2010 TC-III dated January 15, 2011 as amended from time to time.

## AMENDMENT

In the Schedule to the aforesaid notification :—

i. the entries mentioned at serial number 29 relating to Commercial Tax Department (added to the aforesaid notification vide Notification no. 375/91-2013 dated 27 November, 2013) shall be omitted; and

ii. the entries relating to service numbers (3) and (17) at serial number 53 relating to Transport Department (added to the aforesaid notification vide Notification no. 337/91-2018 dated 28 September, 2018) shall be omitted

By order,
**K. Ravinder Naik**
Pramukh Sachiv .

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।